दूरभाष /फैक्स-011-23017203

सं.-19015/1/2021-22 पपा./कैहिंप्रसं./ 581 से 880 तक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
email: adptracharchti-dol@nic.in

2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली. 110011.

दिनांक- 25-6-2021

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
2. विभागध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

विषय - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 32वाँ ऑनलाइन सत्र (जुलाई,2021 से मई,2022) ।

महोदय/महोदया,

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राजभाषा विभाग का पत्र संख्या 140/12/2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 के तहत दिए गए निर्देश (प्रशिक्षण) के अनुसार पत्राचार माध्यम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का नया ऑनलाइन सत्र 1 अगस्त,2021 से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुओं की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए-

| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
|---|---|---|---|---|
| प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सत्र | उद्देश्य | अवधि और आवेदन की अंतिम तिथि | पात्रता | प्रोत्साहन |
| पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का 32 वाँ सत्र (01 जुलाई 2021 से मई 2022) | ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा उनके उपक्रमों,निगमों, निकायों और राष्ट्रीय कृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं,जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। | अवधि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए **एक वर्ष**<br><br>अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021. | जो अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं,किंतु जो अपनी तैनाती के स्थानों पर हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाओं के उपलब्ध न होने या किन्हीं अन्य कारणों से अब तक प्रशिक्षित नहीं किए जा सके हैं। पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट-1 देखें । | केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,नई दिल्ली के दिनांक15.5.1991 के का.ज्ञा.सं 19015/4/91-कैहिंप्रसं.12256 के अनुसार पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने यह परीक्षा निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण की है। अतः निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार भी उन्हें का.ज्ञा.सं.-21034/66/2010-रा.भा.(प्र) दिनांक 29.7.2011 के अनुसार देय होंगे। इन पुरस्कारों पर आने वाला व्यय संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। |

2.वित्तीय प्रोत्साहन

परीक्षाएँ पास करने पर नकद पुरस्कार

| कक्षा | प्राप्तांक प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|
| | 55 प्रतिशत और अधिक | 60 प्रतिशत और अधिक | 70 प्रतिशत और इससे अधिक |
| प्रबोध | रु. 400 /- | रु. 800 /- | रु.1600 /- |
| प्रवीण | रु. 600 /- | रु. 1200 /- | रु. 1800 /- |
| प्राज्ञ | रु.800 /- | रु. 1600 /- | रु. 2400 /- |

निजी प्रयत्नों से परीक्षाएँ पास करने पर एक मुश्त पुरस्कार

| प्रबोध | प्रवीण | प्राज्ञ |
|---|---|---|
| रु. 1600/- | रु. 1500/- | रु. 2400/- |

**टिप्पणी:**-जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एक मुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी । पत्राचार पाठ्यक्रम से परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षार्थियों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ एक मुश्त पुरस्कार भी देय है।

**वैयक्तिक वेतन:** केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा में से जो भी परीक्षा संबंधित प्रशिक्षार्थी के लिए अंतिम परीक्षा निर्धारित की गई है उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

**प्रवेश प्रक्रिया:**-पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र [परिशिष्ट -2]में हिंदी और अंग्रेजी(दोनों भाषाओं) में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। पात्रता सुनिश्चित करने के बाद पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश हेतु 31 जुलाई , 2021 तक निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किए जाएँ -

उप निदेशक
पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध (भाषा)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली. 110011.
email: - adptracharchti-dol@nic.in

सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि सत्र 2021-22 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा -प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग सराहनीय होगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विषय में अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचित करें।

संपर्क सूत्र -

| कार्यालय का नाम एवं पता | सहायक निदेशकों के नाम | दूरभाष /मोबाइल नंबर |
|---|---|---|
| उप निदेशक<br>भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध,<br>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान<br>2-ए, पृथ्वीराज रोड,<br>नई दिल्ली. 110011. | श्रीमती प्रतिभा मलिक<br>सुश्री कृष्णा देवी | 011-23017203(का)<br>मो0-7982905394<br>मो0-9871608537 |

कोविड 19 महामारी के कारण प्रबोध,प्रवीण तथा प्राज्ञ की किटें एवं उत्तर-पत्र डाक से नहीं भेजे जा रहे। अतः उक्त पाठ्यक्रम की किटें एवं उत्तर-पत्र प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे दिया गया लिंक देखें।
http://chti.rajbhasha.gov.in/ ?9600?21

इसके अलावा, प्रशिक्षु **लीला-राजभाषा** मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं जो अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

23/6/21
(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग आदि।
2. भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक का कार्यालय, आई.टी.ओ., नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली।
6. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली।
9. केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली।
10. प्रशासक, सभी संघ शासित क्षेत्र।
11. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
12. समस्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष (मेलिंग सूची के अनुसार)।
13. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), केंहिप्रसं,नई दिल्ली।
14. सभी उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
15. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
16. राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
17. सेना (मुख्यालय), नौसेना (मुख्यालय),वायु सेना (मुख्यालय),और रक्षा प्रशिक्षण केंद्र,नई दिल्ली।
18. सीआरपीएफ (मुख्यालय), आईटीबीपी (मुख्यालय), आरएएफ (मुख्यालय) और उनके प्रशिक्षण केंद्र।
19. निदेशक (कार्यान्वयन), निदेशक (नीति), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सेवा), निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन-II, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली। निदेशक (अनुसंधान) से अनुरोध है कि उपर्युक्त को राजभाषा भारती में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
20. निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
21. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
22. निदेशक (राजभाषा), डाक भवन, नई दिल्ली।
23. महामंत्री,केंद्रीय सचिवालय,हिंदी परिषद, एक्स वाई 68,सरोजनी नगर, नई दिल्ली।
24. सहायक निदेशक (टंकण/आशु.),अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक,केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,7 वां तल पंडित दीनदायल अंत्योदय भवन,केंद्रीय कार्यालय परिसर,लोधी रोड,नई दिल्ली को इस अनुदेश के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
25. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ।

23/6/21
(डॉ. वरुण कुमार)
निदेशक

## भाषा पत्राचार पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी

पात्रता -केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का पत्राचार स्कंध प्रबोध,प्रवीण,और प्राज्ञ नामक तीन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार है;-

| प्रबोध | प्रवीण | प्राज्ञ |
|---|---|---|
| यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मणिपुरी, मिजो या अंग्रेजी, भाषा भाषी अधिकारी/ कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं। | यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा असमिया उड़िया,गुजराती, बंगला, मराठी,बोडो, डोगरी, मैथिली,सिंधी, संथाली, और नेपाली भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक का हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं। | यह अंतिम पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी तथा वे अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक स्तर से कम है नामित होंगे। उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा- भाषी अधिकारी /कर्मचारियों के लिए भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है। |

**टिप्पणी**

- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण पर्याप्त है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्स तथा वर्कशाप एवं प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए केवल प्रवीण तक का प्रशिक्षण पर्याप्त है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 06 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा.सं.14034/30/2009-राभा(प्रशि.) के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग 'ग' श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कार्मिक अग्रिम वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे।

**आयु सीमा**

- इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

पाठ्यक्रम : प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तीनों पाठ्यक्रमों का पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है।

पाठ्य सामग्री : प्रायोजक अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए कर्मचारी अपने हल किए हुए उत्तर-पत्र (रिस्पांस-शीट) नियमित रूप से आंतरिक मूल्यांकन के लिए संस्थान को डाक द्वारा भिजवाएं।

परीक्षा शुल्क : निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि के कर्मचारियों के कार्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क ,परीक्षा फार्म के साथ ही भेजना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑन लाइन उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में करना होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है।
उपक्रमों,निगमों, कंपनियों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क संबंधित निगमों, कंपनियों, बैंकों द्वारा निम्नलिखित दर से देय होगा। नामांकन फॉर्म के साथ परीक्षा शुल्क की ऑनलाइन भुगतान रसीद भेजना अनिवार्य है

**प्रबोध-100/- रू. प्रति प्रशिक्षार्थी**
**प्रवीण-100/- रू. प्रति प्रशिक्षार्थी**
**प्राज्ञ-100/- रू. प्रति प्रशिक्षार्थी**

आंतरिक मूल्यांकन :
क. आंतरिक मूल्यांकन के पूर्णांक 100 अंक होंगे।
ख. आंतरिक मूल्यांकन में 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को पूरक परीक्षा के रूप में नवम्बर, 2022 में मौखिक परीक्षा देनी होगी तथा न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

**नोटः- सभी प्रायोजक कार्यालयों को नामित प्रशिक्षार्थियों का पूर्ण विवरण Excel Sheet में हिंदी और अग्रेजी में भेजना अनिवार्य होगा।**

**प्रशिक्षार्थी सीधे Chti - Website से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन-हिंदी भाषा पत्राचार)।**

**टिप्पणी :-**

**1.** ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के संबंध में विस्तृत विवरण पृष्ठ- 8 पर।

**2.** प्रायोजक अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कर्मचारी परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों। यह देखा गया है कि इन पाठ्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन वे नियमित रूप से अपने उत्तर पत्र नहीं भेजते अथवा परीक्षा में नहीं बैठते। इससे सरकारी धन, समय और श्रम का अपव्यय होता है। अतः यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जो प्रशिक्षार्थी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें, वे परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों।

**3.** परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रशिक्षार्थी को हर प्रश्न पत्र में तथा आंतरिक मूल्यांकन में 35-35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किंतु किसी प्रशिक्षार्थी को यदि एक प्रश्न-पत्र में 35 से कम अंक प्राप्त हुए हैं तो उसके परिणाम में उसे पूरक (Supplementary) घोषित किया जाएगा तथा वह नवंबर 2022 की परीक्षा में केवल उसी प्रश्न पत्र की परीक्षा देगा। आंतरिक मूल्यांकन में फेल होने पर उसे मौखिक परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षा वाले प्रशिक्षार्थियों को दुबारा परीक्षा फार्म भर कर इस कार्यालय को भेजना होगा तथा इसके साथ ही उसे परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रूपए का बैंक ड्रॉफ्ट "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" के पक्ष में भेजना होगा।

**4.** जो प्रशिक्षार्थी मई, 2022 की परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न-पत्र में नहीं बैठ पाते या फेल हो जाते हैं, वे हिंदी शिक्षण योजना की मई या नबंवर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पुनः बैठ सकते हैं। किंतु उस स्थिति में उन्हें प्राइवेट परीक्षार्थी माना जाएगा तथा उन्हें परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। उनके द्वारा पहले हल किए गए उत्तर-पत्रों में प्राप्त अंकों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।

**5.** कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध,प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में किए गए सुधार के संबंध में 15/2/2016-उ.नि (परीक्षा),दिनांक 09/05//2016 का परिपत्र chti.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है।

**6.** कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ऑनलाइन सत्र का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम(PCP) भविष्य में (Online) ऑनलाइन डिजिटल संपर्क कार्यक्रम (DCP) द्वारा आयोजित किया जाएगा।

परिशिष्ट - 2

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

(भाषा पत्राचार स्कंध)

प्रवेश-पत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पाठ्यक्रम का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | |
| 2. | आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | |
| 3. | पिता/पति का नाम | |
| 4. | आवेदक का पदनाम | |
| 5. | कार्यालय का पूरा नाम व पता (जिला/राज्य और पिन कोड सहित) | |
| 6. | आवेदक का ई-मेल आई.डी. मोबाइल नं. | |
| 7. | राष्ट्रीयता | |
| 8. | जन्मतिथि | |
| 9. | मातृभाषा | |
| 10. | शैक्षिक योग्यता | |
| 11. | किस स्तर/कक्षा तक हिंदी पढ़ी है | |
| 12. | कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय का पूरा पता | |
| 13. | दूरभाष सं. | |
| 14. | नियंत्रक अधिकारी का ई-मेल, आई.डी. | |
| 15. | फैक्स | |
| 16. | नियंत्रक अधिकारी का मोबाइल नंबर | |

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण पत्र

(कृपया प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करने से पहले पात्रता की शर्तों काअनुपालन सुनिश्चित कर लें।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................ को जो ............................................. में ..................................... के पद पर कार्यरत हैं, प्रशिक्षण का पात्र पाए जाने पर वर्ष 2021-2022 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों के ..................................................... पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

कार्यालय की मुहर के साथ

कार्यालय का स्थान-........................... ई-मेल ......................................... फैक्स

सं.........................................दिनांक- ..... /...../............ मोबाइल नं.-........................

**परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रियाः-**

परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www. onlinesbi.com पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद की फोटोप्रति उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

1. सबसे पहले state Bank of India की website www. onlinesbi.com में state Bank Collect नामक उप शीर्षक पर जाएँ।

या

state Bank of India की website www. onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक state Bank of India पर क्लिक करने पर state Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. state Bank Collect पेज पर state Bank Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं Go को क्लिक करें।

3. Govt. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA को SUBMIT करें।

4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें। Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा।

5. इस फार्म को भरने के पश्चात् SUBMIT करें। SUBMIT करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें।

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 को भेज दें ।

**NEFT का विवरण प्रक्रिया-2**

उपनिदेशक परीक्षा (DD EXAM) चालू खाता (Current Account) संख्या- 35148065018 भारतीय स्टेट बैंक (SBI), शाखा, केंद्रीय सचिवालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में है। इस बैंक का IFSC कोड - SBIN0000625 तथा MICR
कोड - 110002014 है।